

08 फरवरी 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

1. अनुसूचित जाति (SC) को एक समरूप समूह के रूप में नहीं माना जा सकता: CJI के नेतृत्व वाली पीठ

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आंतरिक सुरक्षा:

1. भारत-म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने के केंद्र के कदम पर पूर्वोत्तर में मिली-जुली प्रतिक्रिया:

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

**E. संपादकीय:**

**शासन:**

1. 20,000 से अधिक FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु से थे:
2. चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना अपराध है:

**भारतीय अर्थव्यवस्था:**

1. जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने में समानता संबंधी चिंताएँ:

**F. प्रीलिम्स तथ्य:**

1. नई खोज के अनुसार नए तंत्रिका जाल से समझा जा सकता है कि कैसे नए एंटीबायोटिक मिलते हैं:
2. त्रिपुरा बोर्ड ने परीक्षाओं में रोमन लिपि में कोकबोरोक की अनुमति दी:
3. तेलंगाना के नलगोंडा में 390 साल पुराने लैंप पोस्ट से व्यापारिक संबंधों का खुलासा:

**G. महत्वपूर्ण तथ्य:**

**आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।**

**H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**

**I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अनुसूचित जाति (SC) को एक समरूप समूह के रूप में नहीं माना जा सकता: CJI के नेतृत्व वाली पीठ

शासन:

विषय: इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

मुख्य परीक्षा: कमजोर वर्ग से संबंधित मुद्दे।

**विवरण:**

- हाल के एक घटनाक्रम में, भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण नीतियों की पेचीदगियों पर प्रकाश डाला है।
- पीठ की टिप्पणियाँ अनुसूचित जाति की विषम प्रकृति और आरक्षण कार्यान्वयन से जुड़ी जटिलताओं पर प्रकाश डालती हैं।

**अनुसूचित जातियों के भीतर विविधता:**

- पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति (SC) को एक अखंड इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसमें विभिन्न सामाजिक संकेतकों और व्यवसायों के साथ विविध जातियां शामिल हैं।
- यह विविधता आरक्षण के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियों के साथ समान व्यवहार करने की धारणा को चुनौती देती है।

**परिप्रेक्ष्य में बदलाव:**

- पीठ का दृष्टिकोण 2004 के ई.वी. चित्रैया मामले से अलग है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) को समरूप माना गया था।

- यह सामाजिक गतिशीलता की सूक्ष्म समझ और अनुरूप आरक्षण नीतियों की आवश्यकता को इंगित करता है।
- तमिलनाडु का अनुसूचित जाति के भीतर समूहों की पहचान और उपवर्गीकरण का दावा सामाजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

### निष्कर्ष:

- चल रही कानूनी चर्चा आरक्षण नीतियों की विकसित प्रकृति और एससी समुदायों की बहुमुखी वास्तविकताओं को संबोधित करने की अनिवार्यता को दर्शाती है। जैसे-जैसे पीठ संवैधानिक बारीकियों पर गौर करेगी, परिणाम भारत में आरक्षण ढांचे के भविष्य के प्रक्षेप पथ को आकार देगा।

### सारांश:

- सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा हाल ही में किए गए विचार-विमर्श में अनुसूचित जातियों की विविध संरचना और सूक्ष्म आरक्षण नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव सामाजिक न्याय उपायों की विकसित प्रकृति और एससी समुदायों के भीतर जटिलताओं को दूर करने के राज्य के दायित्व को रेखांकित करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के कदम पर पूर्वोत्तर में मिली-जुली प्रतिक्रिया:

आंतरिक सुरक्षा:

विषय: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका।

मुख्य परीक्षा: सीमा सुरक्षा मुद्दा।

विवरण:

- भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर पांच पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं की ओर से विविध प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो क्षेत्र में सीमा प्रबंधन की जटिलता को उजागर करती हैं।

### अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से समर्थन:

- अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के नेताओं ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल का स्वागत किया है।
- मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने राज्य में म्यांमार के नागरिकों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से मुखर रहे हैं।
- असम के मुख्यमंत्री, बाड़ लगाने को सीमा पार से उग्रवाद और घुसपैठ को कम करने के एक साधन के रूप में देखते हैं, चरमपंथी समूहों द्वारा पॉर्स सीमा का दोहन करने के बारे में कई चिंतित लोगों द्वारा एक भावना प्रतिध्वनित की गई है। (porous border-दो देशों के बीच ऐसी सीमा जो लोगों को आने-जाने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है।)
- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, अवांछित तत्वों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाने की परियोजना की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है।

### मणिपुर और नागालैंड का विरोध:

- इसके विपरीत, नागा विद्रोही समूहों के गढ़ मणिपुर और नागालैंड के नेता बाड़ लगाने की योजना का विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा समुदाय विभाजित हो सकते हैं और सामाजिक एकता बाधित हो सकती है।

### मिजोरम और नागालैंड का रुख:

- मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और नागालैंड के नेप्यू रियो किसी भी तरह की बाधा खड़ी करने के सख्त खिलाफ हैं और उनका कहना है कि सांस्कृतिक संबंध साझा करने वाले समुदायों को बिना किसी बाधा के सह-अस्तित्व में रहना चाहिए।

### निष्कर्ष:

- भारत-म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सीमा प्रबंधन की सूक्ष्म गतिशीलता और पूर्वोत्तर में सीमाओं के पार सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के संरक्षण के साथ सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करती हैं।

### सारांश:

- भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर पूर्वोत्तर के नेताओं की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है, कुछ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसका समर्थन किया है, जबकि अन्य ने संभावित सामाजिक विभाजन पर चिंता व्यक्त की है।

## संपादकीय-द हिन्दू

### संपादकीय:

20,000 से अधिक FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु से थे:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

### शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।

मुख्य परीक्षा: गैर-सरकारी संगठनों को नियंत्रित करने वाला नियामक परिदृश्य।

### विवरण:

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation (CBI)) द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर और उनके एनजीओ, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीईएस) के खिलाफ हाल ही में दर्ज किए गए एक मामले ने भारत में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियंत्रित करने वाले नियामक परिदृश्य पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है। हाल के दिनों में अन्य गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।

### FCRA विनियम और उनका उद्देश्य:

- एफसीआरए (FCRA) का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी धन को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में लगाने से रोकने के लिए विनियमित करना है।
- विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए एनजीओ को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होगा।
- सरकार द्वारा एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना अनुपालन सुनिश्चित करने और विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोकने के उसके प्रयासों को दर्शाता है।
- हालाँकि, सभी रद्दीकरण उल्लंघनों के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और दोहराव को समाप्त करने के लिए होते हैं।

### निहितार्थ और महत्व:

- एनजीओ की हालिया जांच विदेशी फंडों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालती है।
- यह विदेशी योगदान के किसी भी दुरुपयोग या विचलन को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए नियमों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- हालाँकि, रद्दीकरण और जांच गैर सरकारी संगठनों के बीच चिंताएं बढ़ा सकती हैं, जबकि वे नियामक ढांचे को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करते हैं कि विदेशी धन का उपयोग भारत में वैध और लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

**भावी कदम:**

- एफसीआरए नियमों के साथ स्पष्टता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नियामक अधिकारियों के बीच बेहतर संचार और सहयोग की आवश्यकता है।
- गैर सरकारी संगठनों को अपने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए विदेशी फंडिंग के उपयोग का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करने और इस क्षेत्र में जवाबदेही और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण पहल और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।

**सारांश:**

- हर्ष मंदर के एनजीओ के खिलाफ हाल ही में सीबीआई का मामला भारत के एनजीओ नियामक परिदृश्य पर प्रकाश डालता है, जो विदेशी धन को नियंत्रित करने में एफसीआरए की भूमिका पर जोर देता है। यह निधि के उचित उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता बढ़ाने, एफसीआरए नियमों के अनुपालन और नियामक निकायों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना अपराध है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्द।

मुख्य परीक्षा: बच्चों से संबंधित

**विवरण:**

- एस. हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़े कानूनों की व्याख्या के बारे में विवाद और बहस छेड़ दी है।
- इस ऐतिहासिक फैसले में, उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 (Information Technology (IT) Act, 2000) की धारा 67बी के तहत बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने से संबंधित न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

### कानून की व्याख्या:

- मामले का सार उच्च न्यायालय के इस दावे में निहित है कि निजी सेटिंग्स में बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना एक आपराधिक अपराध नहीं है।
- अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी स्थानों पर पोर्नोग्राफी देखना भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 292 के तहत दंडनीय नहीं है।
- डाउनलोड की गई फ़ाइलों की पुष्टि करने वाले फोरेंसिक साक्ष्य के बावजूद, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पर जोर दिया कि किसी अपराध के घटित होने के लिए, अभियुक्त ने ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की होगी।

### आलोचना और चिंताएँ:

- आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय आईटी अधिनियम की धारा 67बी के व्यापक दायरे की अनदेखी करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना अपराध के रूप में शामिल है।
- बाल पोर्नोग्राफी से असंबंधित एक मिसाल पर निर्णय की निर्भरता ने कानूनी स्थिरता और ऑनलाइन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

### विधायी संशोधन की आवश्यकता:

- सत्तारूढ़ द्वारा उजागर की गई विसंगतियों के जवाब में, मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए विधायी संशोधन की मांग की जा रही है। इसके सुझावों में "बाल पोर्नोग्राफी" शब्द को "सीएसएएम" (बाल यौन शोषण सामग्री) से बदलना और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करना शामिल है। इस तरह की कार्रवाई कानून के इरादे को बनाए रखने और एक समस्याग्रस्त कानूनी मिसाल की स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक है जो ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के प्रयासों से समझौता कर सकती है।

### **भावी कदम:**

- मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने ऑनलाइन बाल शोषण से संबंधित कानूनों की व्याख्या के बारे में चर्चा फिर से शुरू कर दी है।
- डिजिटल युग में संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट और सुसंगत कानूनी ढांचा लाने की आवश्यकता है।

### **सारांश:**

- एस. हरीश बनाम पुलिस इंस्पेक्टर मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने ऑनलाइन बाल शोषण, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने के संबंध में कानूनों की व्याख्या पर बहस छेड़ दी। आलोचकों का तर्क है कि असंबंधित उदाहरणों पर निर्णय की निर्भरता और बाल संरक्षण कानूनों पर इसके प्रभाव के लिए डिजिटल क्षेत्र में कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विधायी संशोधन और कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है।

**जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने में समानता संबंधी चिंताएँ:**

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:**

**भारतीय अर्थव्यवस्था:**

**विषय: योजना, संसाधन जुटाने, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।**

**मुख्य परीक्षा: जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दा।**

### विवरण:

- जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकारों और निगमों की कमजोर प्रतिक्रियाओं ने विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी में वृद्धि की है।
- जलवायु संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता ने नागरिकों और वकालत करने वाले समूहों को निर्णय निर्माताओं से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग करते हुए कानूनी सहारा लेने के लिए मजबूर किया है।

### साहसिक कदमों की बढ़ती गति:

- बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के बीच, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निर्णायक उपायों के लिए गति तीव्र रफ़्तार से बढ़ रही है।
- जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग दुनिया भर में जोर पकड़ रही है।
- इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन उद्योगों के विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि की स्थापना के लिए समर्थन बढ़ रहा है।
- अकादमिक मंडलियाँ जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की वकालत करती हैं।
- प्रस्तावों में कोयला खनन और जलाने को रोकने के लिए 2030 तक कोयला उन्मूलन संधि शामिल है।
- उत्पादन अंतर रिपोर्ट 2023 जीवाश्म ईंधन उत्पादन योजनाओं और पेरिस समझौते (Paris Agreement's) के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के बीच अंतर को पाटने की तात्कालिकता पर जोर देती है।

### अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और चुनौतियाँ:

- COP26 (COP26) और COP28 (COP28) में चर्चाओं ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।
- हालाँकि, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जैसे स्थापित जलवायु परिवर्तन सिद्धांतों के साथ प्रस्तावों को संरेखित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- जीवाश्म ईंधन से संक्रमण जटिल चुनौतियाँ पैदा करता है, खासकर उन देशों के लिए जो जीवाश्म ईंधन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- पर्यावरणीय चिंताओं के साथ आर्थिक अनिवार्यताओं को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और सहयोग की आवश्यकता होती है।

### भारत की दुविधा और रणनीति:

- भारत, अक्षय ऊर्जा में प्रगति करते हुए, नौकरी पर निर्भरता और आर्थिक वास्तविकताओं के कारण जीवाश्म ईंधन के प्रभुत्व से जूझ रहा है।
- भारत COP26 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न्यायसंगत समाधानों की वकालत करते हुए कोयला और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण चाहता है।

### भावी कदम:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों, निगमों और नागरिक समाज से तत्काल और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा के लिए साहसिक उपायों, प्रणालीगत परिवर्तनों और न्यायसंगत समाधानों की आवश्यकता है।

**सारांश:**

- जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकारों और निगमों की अपर्याप्त प्रतिक्रियाएँ वैश्विक मुकदमेबाजी में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जवाबदेही और साहसिक कार्रवाई पर जोर देती हैं। जीवाश्म ईंधन चरण-बहिष्कार और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए गति बढ़ रही है, फिर भी जलवायु सिद्धांतों के साथ प्रस्तावों को संरेखित करने और आर्थिक हितों को संतुलित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

### प्रीलिम्स तथ्य:

1. नई खोज के अनुसार नए तंत्रिका जाल से समझा जा सकता है की कैसे नए एंटीबायोटिक मिलते हैं:

### प्रसंग:

- 1944 में, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की शुरुआत स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के साथ हुई, जो पहला एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक था, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) और एंटीबायोटिक विकास में महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित किया।

### सम्बन्धित जानकारी:

- नेचर में एक अभूतपूर्व अध्ययन से गहन शिक्षा और एंटीबायोटिक दवाओं के बीच एक सहजीवी संबंध का पता चला।
- वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक दवाओं की एक नई श्रेणी का पता लगाने के लिए गहन शिक्षण एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, जिससे दवा की खोज में क्रांति आ गई।
- ये निष्कर्ष एमआरएसए और वीआरई जैसे एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी रोगजनकों से निपटने का वादा करते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच आशा की किरण पेश करते हैं।
- जबकि विशेषज्ञ अध्ययन की सरलता की सराहना करते हैं, गहन शिक्षण मॉडल की पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
- व्याख्याशीलता का अंतर्निहित एकीकरण विश्वास और समझ को बढ़ा सकता है, भविष्य की सफलताओं का मार्गदर्शन कर सकता है।

- महत्व: जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एंटीबायोटिक दवाओं के बीच गठजोड़ विकसित होता है, शोधकर्ता नवाचार और चिकित्सा उन्नति की साझा खोज से प्रेरित होकर अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं।

## 2. त्रिपुरा बोर्ड ने परीक्षाओं में रोमन लिपि में कोकबोरोक की अनुमति दी:

### प्रसंग:

- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (टीबीएसई) ने स्वदेशी समुदायों, आदिवासी मंचों और राजनीतिक गुटों के बढ़ते दबाव के कारण छात्रों को कोकबोरोक (Kokborok) भाषा परीक्षाओं के लिए रोमन वर्णमाला का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

### सम्बन्धित जानकारी:

- शुरू में केवल बांग्ला लिपि को अनिवार्य करते हुए, टीबीएसई के अध्यक्ष धनंजय गोन चौधरी ने आगामी परीक्षाओं के लिए दोनों लिपियों की अनुमति देते हुए पाठ्यक्रम को उलट दिया।
- परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षकों पर पुलिस कार्रवाई की धमकी देने वाले निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया है।
- त्रिपुरा में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली कोकबोरोक के लिए स्क्रिप्ट चयन पर बहस वर्षों से जारी है।
- जहां कुछ लोग बांग्ला लिपि की व्यावहारिकता के पक्ष में तर्क देते हैं, वहीं स्वदेशी समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए रोमन लिपि की वकालत करते हैं।

### महत्व:

- इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों के पिछले प्रयासों के बावजूद, सर्वसम्मति छदम साबित हुई है। हालिया निर्णय क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे भाषाई विवाद के अस्थायी समाधान का प्रतीक मात्र है।

### 3. तेलंगाना के नलगोंडा में 390 साल पुराने लैंप पोस्ट से व्यापारिक संबंधों का खुलासा:

#### प्रसंग:

- तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पुरातत्वविदों ने कृष्णा नदी के पास 390 साल पुराने एक उल्लेखनीय दीपस्तंभ (लैंप पोस्ट) का पता लगाया है।

#### सम्बन्धित जानकारी:

- पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज के अशोक कुमार द्वारा मुदिमानिक्यम गाँव में खोजे गए स्तंभ में खोखले लैंप और एक बहुभाषी शिलालेख मिले हैं।
- यह खोज क्षेत्र में प्रारंभिक मध्ययुगीन व्यापार संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- मंदिर वास्तुकला में देखे जाने वाले सामान्य ध्वजस्तंभ (ध्वज स्तंभ) के विपरीत, लैंप पोस्ट दक्कन में दुर्लभ हैं लेकिन पश्चिमी तट के मंदिरों में अधिक आम हैं।
- जून 1635 का शिलालेख, जो तेलुगु और तमिल के संयोजन में लिखा गया था, काशी विश्वनाथ की पूजा करता है, जो नदी के व्यापार मार्ग पर एक नौवहन सहायता के रूप में इसकी भूमिका का सुझाव देता है।
- महत्व: हैदराबाद से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित, गाँव का ऐतिहासिक महत्व इस खोज में गहराई जोड़ता है, जिससे प्राचीन व्यापार मार्गों और प्रथाओं के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है।

#### महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

#### UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

**प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का सबसे अच्छा**

**वर्णन करता है?**

- (a) एबीसी एक भौतिक बैंक है जहां छात्र अकादमिक क्रेडिट जमा और निकाल सकते हैं।
- (b) एबीसी एक डिजिटल भंडार है जो छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत करता है।
- (c) एबीसी विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अपने शोध क्रेडिट को संग्रहीत करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है।
- (d) एबीसी विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अपने शोध क्रेडिट को संग्रहीत करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है।

**उत्तर: b**

**व्याख्या:**

- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है जहां छात्र अपने अकादमिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं।
- यह अकादमिक रिकॉर्ड तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है और शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध स्थानांतरण और प्रवेश प्रक्रियाओं की अनुमति देता है।
- एक भौतिक बैंक के विपरीत, इसमें धन जैसे शैक्षणिक क्रेडिट की जमा या निकासी शामिल नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, यह विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रों या अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर ऋण और अनुदान की पेशकश करने वाले वित्तीय संस्थान के लिए नहीं है।

**प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी योजना के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?**

- (a) भूविज्ञान और भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को विशेष रूप से बढ़ाना।
- (b) केवल वायुमंडलीय अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना।
- (c) पृथ्वी प्रणाली के सभी पाँच घटकों को संबोधित करके पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ में सुधार करना और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना।
- (d) देश भर में बेहतर संचार प्रणालियों के लिए उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

**उत्तर: c**

**व्याख्या:**

- इस योजना का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली के सभी पांच घटकों को संबोधित करके और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करके पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ को बढ़ाना है। इसमें भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान या वायुमंडलीय अनुसंधान से परे पृथ्वी विज्ञान के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जो इसे एक व्यापक पहल बनाते हैं।

**प्रश्न 3. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापा जाता है।
2. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपाय है।
3. उच्च खुदरा मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तर: a**

**व्याख्या:**

- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी जाती है।
- यह सूचकांक घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है।
- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपाय नहीं है।
- डब्ल्यूपीआई जहां अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझानों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, वहीं आरबीआई अपने मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए मुख्य रूप से सीपीआई मुद्रास्फीति पर ध्यान

केंद्रित करता है।

- डब्ल्यूपीआई जहां अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझानों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, वहीं आरबीआई अपने मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए मुख्य रूप से सीपीआई मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करता है।
- उच्च खुदरा मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होती है।
- वास्तव में, उच्च मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आय की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा समान धनराशि से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है।

**प्रश्न 4. ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग परिदृश्य की तुलना में चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में काफी कमी आने की उम्मीद है।
2. प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग घटनाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के जोखिम को काफी कम करती है।
3. वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का स्पष्ट लक्ष्य, जबकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को औपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में पहली बार पेश किया गया और इस पर सहमति व्यक्त की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तर: b**

**व्याख्या:**

- कथन 1 सही है क्योंकि वैज्ञानिक शोध से संकेत मिलता है कि उच्च स्तर की वार्मिंग से तूफान,

हीटवेव और भारी वर्षा जैसी अधिक गंभीर और लगातार चरम मौसम की घटनाएं होंगी।

- मूंगा चट्टानें तापमान में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, और यहां तक कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की मामूली वृद्धि भी बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग और मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है।
- कथन 3 गलत है।

**प्रश्न 5.** भारत 'इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर' का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो भारत को इसका तात्कालिक फायदा क्या होगा?

- (a) यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग कर सकता है।
- (b) यह उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका निभा सकता है।
- (c) यह बिजली उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में काफी सुधार कर सकता है।
- (d) यह बिजली उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टर बना सकता है।

**उत्तर: d**

**व्याख्या:**

- इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) एक सहयोगी परियोजना है जिसका उद्देश्य संलयन शक्ति की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है। यदि संलयन रिएक्टरों को सफलतापूर्वक विकसित किया जाता है, तो वे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत प्रदान करेंगे।

**UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**

**प्रश्न 1.** जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के प्रयास में विकासशील देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस-3, पर्यावरण] (The attempt to end fossil fuel usage should keep the concerns of developing nations in mind. Critically analyze. (250 words, 15 marks) [GS-3, Environment])

**प्रश्न 2.** भारत को ऐसे गैर सरकारी संगठनों की आवश्यकता है जो पारदर्शी हों; गैर सरकारी संगठनों को सरकारी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है लेकिन बहुत सारे नियम गलत हैं। टिप्पणी

**कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) [जीएस-3, आंतरिक सुरक्षा] (India needs NGOs that are transparent; NGOs need to follow government regulations but too much of regulations are wrong. Comment. (150 words, 10 marks) [GS-3, Internal Security])**

**(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर  की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)**

